राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 123/2013/भीलवाडा

मैसर्स प्रभुनारायण ठेकेदार
भीलवाडा — प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स कान्ट्रेक्ट,भीलवाडा
उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर,भीलवाडा — अप्रार्थीगण

2.संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 125/2013/भीलवाडा

मैसर्स मोहन एण्डटरप्राईजेज,
शाहपुरा,भीलवाडा — प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स कान्ट्रेक्ट,भीलवाडा
उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर,भीलवाडा — अप्रार्थीगण

3.संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 126/2013/भीलवाडा

मैसर्स श्री लादूराम सेन,बच्छखेडा,
शाहपुरा,भीलवाडा — प्रार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स कान्ट्रेक्ट,भीलवाडा
उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर,भीलवाडा — अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री एम.पी.शर्मा
अभिभाषक — प्रार्थीगण की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 16.01.2015

संशोधन आदेश

उपरोक्त तीनों संशोधन पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 963/2010/भीलवाडा, 966/2010/भीलवाडा एवं 968/2010/भीलवाडा में पारित संयुक्त निर्णय 22.12.2011 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूँकि तीनों संशोधन प्रार्थना पत्र संयुक्त निर्णय दिनांक 22.12.2011 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं,इसलिए इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण का ठेकेदारी का कार्य है तथा इन व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से अवार्ड किये गये संविदा सिविल कार्यों को निष्पादित करने के फलस्वरूप प्राप्त कुल राशि में से कुछ राशि ई.सी. आच्छादित एवं कुछ राशि नॉन–ई.सी. की प्राप्तियां हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण का आलौच्य अवधि के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की

धारा 29 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 12.9.2008, 15.9.2008, 7.6.2008 एवं 4.6.2008 को पारित किये गये। इन कर निर्धारण आदेशों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारीगण की ई.सी. आच्छादित प्राप्तियों पर अधिसूचना संख्या एफ. 4(12)एफडी/टैक्स डिवी./2001–25 दिनांक 29.3.2001 के अनुसार 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क आरोपित की गई एवं नॉन–ई.सी. आच्छादित कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री मद की अपंजीकृत खरीद की घोषित राशि को बढ़ाकर अनुमानित/निर्धारित की गई राशि पर करारोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष अपीलें पेश की गईं। उपायुक्त (अपील्स) द्वारा व्यवहारीगण की ई.सी. आच्छादित राशि पर मुक्ति शुल्क आरोपण के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की जाकर व्यवहारीगण की नोन–ई.सी. कार्यों हेतु अनुमानित की गई अपंजीकृत खरीद बाबत व्यवहारीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर व्यवहारी के खरीद बिलों व 'जी' शिड्यूल, कार्यादेश आदि को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्धारण करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.5.2010 एवं 7.5.2010 को पारित किये गये। उपायुक्त (अपील्स) के उक्त आदेशों से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा यह द्वितीय अपीलें प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा उक्त अपीलों का निस्तारण संयुक्त निर्णय दिनांक 22.12.2011 को करते हुए अपीलें सारहीन होने से खारिज कर दी गई। कर बोर्ड के उक्त संयुक्त निर्णय दिनांक 22.12.2011 में संशोधन हेतु उपरोक्त तीनों संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अपीलें उपायुक्त(अपील्स) द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने के फलस्वरूप प्रतिप्रेषण आदेश की पालना कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडर्स** के न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 25 टैक्स अपडेट 59** एवं माननीय राजस्थन कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त **20 टैक्स वर्ल्ड 64** में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं कर बोर्ड की खण्डपीठ के **अपील संख्या 2353/2008/भरतपुर के अभिनिर्णय दिनांक 18.7.2011** के आलोक में सारहीन मानते हुए अपीलें खारिज की है। उनका कथन है विद्वान उपायुक्त(अपील्स) द्वारा अपने निर्णय के बिन्दु संख्या 1 को प्रतिप्रेषित किया गया है तथा बिन्दु संख्या 2 पर अपील अस्वीकार की है तथा इस बिन्दु पर अपील प्रतिप्रेषित नहीं की गई है,अतः बिन्दु संख्या 2 पर अपीलों को सारहीन मानकर निर्णय पारित किया जाना रिकार्ड से स्पष्ट भूल है। उनका यह भी कथन है कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2011 के पृष्ठ 3 पर अपीलार्थीगण द्वारा बिन्दु संख्या 2 के लिए की गई द्वितीय अपील के लिए विस्तृत विवेचन किया गया है, परन्तु निर्णय के अन्तिम भाग में इस पर कोई निर्णय नही दिया गया है इसलिए

रिकार्ड से स्पष्ट भूल है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के आधार पर निर्णय दिनांक 22.12.2011 में संशोधन करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत तर्को एवं की गई बहस पर विचार करने के पश्चात चैतन्य मस्तिष्क से निर्णय दिनांक 22.11.2011 पारित किया गया है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है जो बिना वाद–विवाद के रिकार्ड से परिलक्षित भूल प्रकट होती है। निर्णय दिनांक 22.11.2011 ऐसी कोई भूल नहीं बताई गई है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हो, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) को उद्धृत किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2011 पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि उपायुक्त(अपील्स) द्वारा जिस पर बिन्दु पर अपील अस्वीकार की है, उसके सम्बन्ध में अपील सुनवाई के समय तर्क प्रस्तुत किये गये थे। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.3.2001 के तहत संविदा कार्यों के निष्पादन में अन्तर्वलित माल के सम्पत्ति में हस्तान्तरण पर कर देयता की एवज में विमुक्ति शुल्क का स्वयं विकल्प लेने पर संविदा कार्यों की कुल प्राप्तियों पर निर्धारित दर से विमुक्ति शुल्क अदा करनी होती है। उक्त अधिसूचना के आलोक में उपायुक्त (अपील्स) के अपीलाधीन आदेशों द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि में ई.सी. आच्छादित कुल प्राप्त राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क आरोपित करने के आदेश की पुष्टि की है,जिस पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा जिस पर बिन्दु पर अपील प्रतिप्रेषित की गई थी,उसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आदेश पारित कर दिये जाने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकाश में अपील सारहीन हो जाने से राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2011 पारित कर अपीलें खारिज की गई हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकरण में मत प्रतिपादित

किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :–

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

"8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf."

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held thagt such a power of rectification could onlybe exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the

rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the contexst of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/ modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437.Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority tob rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for.When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impunged order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and

quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नही जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये तीनों संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील् शर्मा)
सदस्य